



16.03.2025



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, 1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-2022 एवं 2022-2023 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-136/2024/18, दिनांक 13 फरवरी, 2025 पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में एन.जी.ओ. द्वारा विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता का मतांतरण के लिये उपयोग किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

4. माननीय राष्ट्रपति के द्वारा सभा को संबोधन हेतु सभा भवन के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— “सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025 को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को सभा भवन में संबोधित किया जायेगा। अतः छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 271 –ख को शिथिल कर सभा भवन के उपयोग की अनुमति दी जाये।”

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह), छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (2) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2025–2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय
(शेष चर्चा) (1)

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री के विभागों से संबंधित—

- | | | |
|-------------|----|--|
| मांग संख्या | 15 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| मांग संख्या | 33 | आदिम जाति कल्याण |
| मांग संख्या | 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना |
| मांग संख्या | 42 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल |
| मांग संख्या | 49 | अनुसूचित जाति कल्याण |
| मांग संख्या | 53 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता |

मांग संख्या	64	अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
मांग संख्या	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	13	कृषि
मांग संख्या	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

निर्धारित समय
2 घंटे 30 मिनट (2)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित-

मांग संख्या	3	पुलिस
मांग संख्या	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	5	जेल
मांग संख्या	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

रायपुर,
दिनांक 16 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा